महत्वपूर्ण/आवश्यक

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद एवं रेलवे उ0प्र0।
2. समस्त सहायक रेडियो अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त रेडियो निरीक्षक, उ0प्र0।

विषयः जनपदों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा आपात परिस्थितियों में पुलिस अपील, आवश्यक उद्घोषणाओं एवं जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने हेतु "वायरलेस बेस्ड पी0ए0 सिस्टम" के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि जनपदों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपात परिस्थितियों में जनसामान्य हेतु एक स्थान से की जाने वाली पुलिस अपील, आवश्यक उद्घोषणाओं एवं जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने हेतु "वायरलेस बेस्ड पी0ए0 सिस्टम" स्थापित कराये गये हैं। यह प्रणाली जनता तक शासन/प्रशासन के महत्वपूर्ण विचारों एवं निर्देशों के प्रेषण का सशक्त माध्यम है।

(2) "वायरलेस बेस्ड पी0ए0 सिस्टम" की सार्थकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि इसके संचालन एवं अनुरक्षण को कानून एवं शान्ति व्यवस्था के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विषयों मे सम्मिलित रखा जाय। अतएव इस प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश (एस0ओ0पी0) प्रस्तुत हैं–

संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

1. प्रणाली पर यथासम्भव जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा ही सम्बोधन किया जाय।
2. जनपदीय पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में संदेशों का प्रसारण प्रभारी जनपद अथवा उनके द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही किया जाय।
3. प्रणाली पर कोई भी आवांछनीय वार्ता कदापि नहीं करनी चाहिये।
4. प्रणाली पर प्रसारित किये जाने वाले सन्देश किसी जाति, धर्म, समुदाय या साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील नहीं होने चाहिये।
5. सामान्य स्थिति में प्रणाली को सप्ताह में एक बार अवश्य प्रयोग में लाया जाय।
6. प्रणाली की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाय।
7. प्रणाली की स्थापना हेतु ऐसे स्थान चिन्हित किये जायें जहाँ से प्रसारित संदेशों को अधिक से अधिक लोगों द्वारा सुना जा सके।
8. सामान्यतः पुलिस थानों, आउट पोस्ट तथा भीड़ वाले चौराहों पर प्रणाली की स्थापना पर विशेष बल दिया जाय।

अनुरक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

1. "वायरलेस बेस्ड पी0ए0 सिस्टम" के मुख्य अवयवों जैसे वी0एच0एफ0 स्टेटिक सेट, 12 वोल्ट हैवी ड्यूटी बैटरी, पी0ए0 एम्पलीफायर, ड्रायवर यूनिट मय एल0एम0टी0, हॉर्न प्रणाली की चेकिंग प्रतिदिन कर उनकी उत्तम कार्यदशा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
2. प्रणाली के सेट, बैटरी इत्यादि के खराब होने पर तत्काल संज्ञान में लाकर मरम्मत करायी जानी चाहिये।
3. प्रत्येक सप्ताह बैटरी आवश्यक रूप से बदल देनी चाहिये।
4. प्रतिदिन प्रातः एवं सायं को सेटों से संक्षिप्त टेस्ट सन्देश प्रसारण कर उनके कार्यशील होने की जॉच की जानी चाहिये।
5. इस प्रणाली हेतु अलग से लॉगबुक तैयार की जाय।
6. संदेशों के प्रसारण का समय एवं विवरण लॉग में नोट करते रहना चाहिये।
7. प्रणाली की ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें गुंजन नहीं होना चाहिये।
8. प्रणाली के लाउडस्पीकर स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाय कि आवाज चारों दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो।

(3) प्रणाली के संचालन का उत्तरदायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा। प्रणाली के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व जनपदीय सहायक रेडियो अधिकारी/रेडियो निरीक्षक का होगा।

उक्त निर्देश मार्गदर्शन के रूप में हैं तथा जनपदीय स्तर पर प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने हेतु स्थानीय उच्चधिकारियों द्वारा विद्यमान परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर भी दिशा–निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं। इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

20/9/13

संख्याः–ई–146/2010
दिनांकः–सितम्बर 20, 2013

(ओ0 पी0 सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर–लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्न को कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन एवं रेलवे उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र एवं रेलवे उ0प्र0

प्रतिलिपिः–निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त राज्य रेडियो अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अपर राज्य रेडियो अधिकारी, उ0प्र0।